प्रेस विज्ञप्ति
05.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 28.01.2025 को मुंबई में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत उन्नीस ब्रोकिंग संस्थाओं और उनके निदेशकों के खिलाफ एनएसईएल प्लेटफॉर्म पर निवेशकों को लुभाने के लिए **नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल)** के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करने के आरोप में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 3/02/2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ब्रोकिंग कंपनियों के संबंध में ईडी की जांच से पता चला है कि एनएसईएल के साथ पंजीकृत होने के बाद, उन्होंने एक्सचेंज के बारे में झूठे आश्वासन देकर और अवैध पेयर व्यापार अनुबंधों को बढ़ावा देकर अपने ग्राहकों को गुमराह किया, जिनकी अनुमति नहीं थी। ब्रोकिंग कंपनियों के साथ मिलीभगत करके, एनएसईएल ने एक ऐसी प्रणाली स्थापित की, जिसने अपने ग्राहकों के लिए गोदाम रसीदों या भौतिक वस्तुओं के संग्रह को दरकिनार कर दिया, यह जानते हुए कि वे इस तरह से व्यापार की सुविधा दे रहे थे।

ब्रोकिंग कंपनियों ने एनएसईएल के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची, ताकि निवेशकों को भारी रिटर्न का वादा करके एनएसईएल प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने के लिए लुभाया जा सके, जिससे एक धोखाधड़ी योजना के माध्यम से निवेशकों को धोखा दिया जा सके। इन अवैध तरीकों से अर्जित ब्रोकरेज का उपयोग व्यवसाय संचालन में किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अपराध की आय (पीओसी) का स्तरीकरण और एकीकरण हुआ और उन्हें बेदाग धन के रूप में पेश किया गया। ब्रोकिंग कंपनियों द्वारा गैरकानूनी तरीकों से अर्जित 34.74 करोड़ रुपये की ब्रोकरेज को भी पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया और इसकी पुष्टि लर्नेड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, पीएमएलए, नई दिल्ली द्वारा की गई है।

पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, 32 अनंतिम कुर्की आदेश जारी करके 3288.76 करोड़ रुपये की कुल 2002 संपत्तियां कुर्क की गई हैं। इससे पहले, 94 आरोपियों के खिलाफ मामले में 06 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।